

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग


'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016

क्रमांक :- एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/154-190

दिनांक 09.05.2022

परिपत्र


विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा राज्य कार्मिकों के राज्य बीमा ऋण/क्लेम जीपीएफ आहरण/क्लेम के निस्तारण की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के व्यक्तिगत लेजर में लुप्त कटौतियों के इन्द्राज हेतु जीए-55 की मांग की जाती है। एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर उक्त कटौतियों को अपडेट करने हेतु युनिट हेड एवं डीलींग असीसटेंट के स्तर पर **Utility > Service Uyility > Financial Year Wise Employee Data** की युटिलिटी उपलब्ध करवा दी गई हैं। जिसके माध्यम से वर्ष 2012 से चालू माह तक की राज्य बीमा एवं जीपीएफ की कटौतियों को अपडेट किया जा सकता है। उक्त युटिलिटी के अन्तर्गत उपलब्ध वर्ष का चयन कर एम्प्लॉई आईडी डालकर सर्च करने से कार्मिक की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की माह वार कटौतियां प्रदर्शित होगी, जिसे आवश्यकतानुसार **Insert** बटन पर क्लिक करने से उक्त कटौतियां कार्मिक के व्यक्तिगत लेजर में प्रदर्शित हो जावेगी। उक्त युटिलिटी राज्य कार्मिक स्तर पर स्वयं के डैशबोर्ड पर **Update Ledger** के नाम से उपलब्ध करवा दी गई है। उक्त युटिलिटी के माध्यम से डीए एरियर एवं बोनस से सम्बन्धित राशियों का भी अपडेट किया जा सकता है। अतः विभागीय जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य कार्मिकों से अनावश्यक जीए-55 की मांग नहीं की जावे।


(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :- एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/154-190 दिनांक 09.05.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक दिनांक 09.05.2022 में प्रदान किये गये निर्देशानुसार जारी।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, बीमा/पीएफ, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
5. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय
6. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स